



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1940 (श0)

(सं0 पटना 1213) पटना, सोमवार, 31 दिसम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर 2018

अधिसूचना संख्या 26/2018-राज्य कर (दर)

एस०ओ० 280, दिनांक 31 दिसम्बर 2018— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7108 के अंतर्गत आने वाले स्वर्ण की अंतःराज्यीय आपूर्ति को, जब इनकी आपूर्ति हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, वॉल्यूम-1 के अध्याय 4 के संगत प्रावधानों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.41 में यथा संदर्भित "किसी नामित एजेंसी द्वारा आपूर्ति के एवज में निर्यात" की योजना के अंतर्गत किसी नामित एजेंसी द्वारा आभूषणों के किसी पंजीकृत निर्यातक (यहां जिसे "प्राप्तकर्ता" से संदर्भित किया गया है), को की गई हो, उस पर बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं, बशर्ते कि:-

- (i) ऐसी नामित एजेंसी और प्राप्तकर्ता हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, वॉल्यूम-1 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति में विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे।
- (ii) प्राप्तकर्ता ऐसे स्वर्ण से तैयार किए गए आभूषणों का उस तारीख से 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर निर्यात कर देंगे जिस तारीख को उस प्राप्तकर्ता को स्वर्ण की आपूर्ति की गई थी और वह उस तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि के भीतर उसी नामित एजेंसी को शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स, जिसमें माल एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) का ब्यौरा दिया गया हो और इनवॉयस फॉर एक्सपोर्ट्स की प्रति उपलब्ध कराएगा जिस तारीख को उक्त नामित एजेंसी द्वारा यह आपूर्ति की गई थी।
- (iii) जहां कि उपवाक्य (ii) यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात के ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं वहां नामित एजेंसी, यदि यह छूट उपलब्ध न हो तो, निर्यात न किए गए सोने की मात्रा पर लागू होने

वाले राज्य कर और साथ में ही ऐसे प्राप्तकर्ता को की गई आपूर्ति पर जिस दिन कर का भुगतान होना चाहिए था उस दिन से लेकर अब तक ब्याज की राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

"स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए

(क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 1/2015-2020, दिनांक 01 अप्रैल, 2015, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, के तहत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है।

(ख) "हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स वॉल्यूम-I" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 1/2015-2020, दिनांक 01 अप्रैल, 2015, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित, के तहत अधिसूचित हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स वॉल्यूम-I से है।

(ग) "नामित एजेंसी" से अभिप्राय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 की सूची 32 में उल्लिखित निकाय से है;

(घ) "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अध्याय से है।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी।

[(सं०सं०ब्रिकी-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017 (खंड-4)-7267)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

31 दिसम्बर 2018

एस०ओ० 280, दिनांक 31 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०ब्रिकी-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017 (खंड-4)-7267)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 31st December 2018

Notification No. 26/2018-State Tax (Rate)

S.O. 280, dated the 31st December 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council hereby exempts the intra-State supply of gold falling in heading 7108 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when supplied by Nominated Agency under the scheme for "Export Against Supply by Nominated Agency" as referred to in paragraph 4.41 of the Foreign Trade Policy, read with relevant provisions of Chapter 4 of Handbook of Procedures, Volume-I, to registered exporter of jewellery (herein referred to as "recipient"), from the whole of the State Tax leviable thereon, under section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, subject to following conditions, namely:-

- (i) the Nominated Agency and the recipient shall follow the conditions and subject observe the procedures as prescribed in the Foreign Trade Policy read with Handbook of Procedures, Volume-I.
- (ii) the recipient shall export the jewellery made out of such gold within a period of 90 (ninety) days from the date of supply of gold to such recipient and shall provide copy of shipping bill or bill of export containing details of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) along with the invoice for exports to the Nominated Agency within a period of 120 (one hundred and twenty) days from the date of supply by the Nominated Agency

(iii) wherever such proof of export is not produced within the period mentioned in clause (ii), the Nominated Agency shall pay the amount of State Tax payable on the quantity of gold not exported, along with interest from the date when tax on such supply was payable, but for the exemption.

Explanation. -for the purpose of this notification,-

(a) "Foreign Trade Policy " means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, notified by Government of India in the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification No.1/2015-2020, dated 1st April, 2015.

(b) "Handbook of Procedures, Volume-1" means the Handbook of Procedure, Volume-1, notified by Government of India in the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, vide Public Notice No.1/2015-2020, dated 1st April, 2015.

(c) "Nominated Agency" means entities mentioned in List 32 of Notification No. 50/2017-Customs dated 30th June 2017;

(d) "Heading" means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-4)—7267)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1213-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>